कृषि नवाचार

ISSN: 3048-6092
https://www.krishinavachar.in
खण्ड 02 भाग 08 नवम्बर, 2025

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश कृषि यंत्रों पर नवीनतम अनुदान की प्रक्रिया वर्ष 2025-26

मनोज कुमार [1*], सागर कुमार [2], कु. निकम कुमारी [3] और आँचल [4]

[1]सहायक विकास अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, विकास खण्ड कौड़िहार, प्रयागराज 229412, उत्तर प्रदेश, भारत

[2]पी जी स्टूडेंट, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन विभाग, नैनी कृषि संस्थान, सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज 211007, उत्तर प्रदेश, भारत

[3]पीएचडी स्कॉलर, अन्न तंत्र महाविद्यालय, वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी 431402, महाराष्ट्र

[4]एमबीबीएस स्टूडेंट, ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलित्सा सोवेत्सकाया, ट्वेर, ओब्लास्ट, रूस 170100

***E-mail: manojagric@gmail.com**

उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान किसानों को आधुनिक खेती अपनाने, समय व लागत बचाने और उत्पादन बढ़ाने में बड़ी मदद देता है। नीचे आपको पूरी प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़, उपलब्ध यंत्र और अनुदान की दर सरल भाषा में दी जा रही है। कृषि यंत्र पर अनुदान मिल जाना किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। प्रायः देखा जाता है, कि किसानों के पास धन की कमी हमेशा रहती है। इसके लिए अलग-अलग प्रदेशों में या राज्यों में कृषकों को अनुदान देने की व्यवस्थाएं उनके अपने अनुदान देने की नियमावली के अनुसार हैं जिनमे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य भी किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराता है। हालांकि समय-समय पर नियमावली बदलती रहती है किसानों के द्वारा लिए जाने वाले कृषि यंत्रों के अनुदान में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, जिसका निराकरण करना अति आवश्यक है।

कृषि यंत्रों पर लिए जाने वाले अनुदान की वर्तमान प्रक्रिया

कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने हेतु समय-समय पर कृषि विभाग द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ्राम पर कृषि यंत्रों की बुकिंग ई-लॉटरी हेतु सूचना दी जाती है जिसमें 10 से 15 दिन का बुकिंग का समय दिया जाता है कृषि यंत्र आवश्यकता अनुसार बुक कर सकते हैं।

पहले आओ पहले पाओ अनुसार बुक किए जाने वाले कृषि यंत्र

छोटे कृषि यंत्रों के लिए टोकन मनी की आवश्यकता नहीं होती है। जिनका अनुदान 10000 रु तक होता है जैसे लपेटा पाइप, चारा काटने की मशीन, पंप सेट, पेस्टिसाइड उपकरण और लाइट ट्रैप इकोफ्रेंडली इत्यादि होते हैं इसमें जिले स्तर का कृषि यंत्रों का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें लक्ष्य के अनुरूप कृषक यंत्र बुक करते हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट हेतु भी कृषकों को बुक किया जाता है यदि पहले आओ पहले पाओ में कोई कृषक यंत्र खरीद कर बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है तो उसका बुकिंग स्वयंत कैंसिल कर दी जाती है और वेटिंग लिस्ट में से कृषक को पोर्टल पर बिल अपलोड करने हेतु कन्फर्म कर दिया जाता है।

कृषि नवाचार
ISSN: 3048-6092
https://www.krishinavachar.in
खण्ड 02 भाग 08 नवम्बर, 2025

बुकिंग कंफर्म होने के उपरांत कृषि यंत्र का जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करना होता है इसके बाद कृषि विभाग से संबंधित कोई भी कर्मचारी/अधिकारी सत्यापन करता है समस्त दस्तावेजों को उपकृषि निदेशक कार्यालय में उपलब्ध कराया जाता है जिसमें डीबीटी के माध्यम से यंत्रों का नियमावली के अनुसार अनुदान कृषक खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

ई-लॉटरी से बुक किए जाने वाले कृषि यंत्र

जिसमें रु 10001 (दस हजार एक) से रु 10,0000 (एक लाख) तक अनुदान के कृषि यन्त्रों रु 2500 और रु 10,0000 (एक लाख) से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रु 5000 होती है यदि कृषक यंत्र लेकर के समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है तो उसे टोकन धनराशि अनुदान हस्तांतरित हो जाने के बाद वापस बैंक खाते मे कर दी जाती है यंत्र की बुकिंग अनलिमिटेड होती है जिसमें लक्ष्य के 50 प्रतिशत से अधिक कृषक की वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है कृषि यंत्र को खरीद कर पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किया जाता है तो बुकिंग निरस्त कर वेटिंग लिस्ट में से आगामी कृषक को दे दिया जाता है।

ई-लॉटरी की व्यवस्था में संबधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा समस्त किसानों के सम्मुख ई-लॉटरी सिस्टम के अनुसार कृषि यंत्र हेतु कृषक का चुनाव किया जाता है कृषक का चुनाव स्वयं के भाग्य पर निर्धारित होता है ई-लॉटरी में नाम आने के उपरांत भी यदि कृषक पोर्टल पर कृषि यंत्रों का बिल अपलोड नहीं करता है तो उसका बुकिंग स्वयंत निरस्त हो जाता है साथ ही साथ बिल अपलोड करने का एक निश्चित समय दिया जाता है यदि वह समय एक्सपायर हो जाता है तो उसके उपरांत भी बुकिंग निरस्त कर वेटिंग से आगामी कृषक को कंफर्म कर दिया जाता है।

कृषक बिल अपलोड होने के बाद कृषि विभाग से संबंधित कर्मचारी या अधिकारी मौके पर जाकर के कृषि यंत्र का सत्यापन करता है जिसमें कृषि यंत्रों को upyantratracking पर होना अति आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में अनुदान निरस्त कर दिया जा सकता है।

वेबसाईट- https://agriculture.up.gov.in/
https://agridarshan.up.gov.in/और पोर्टल प्रारूप

कृषि यंत्रों का क्रय वेबसाईटupyantratracking पर उपलब्ध फर्मों और डीलरों से ही खरीदना अनिवार्य

किसी भी डीलर से कृषि यंत्र खरीदने से पहले यह विशेष ध्यान रखें की संबंधित डीलर का upyantratracking पर रजिस्ट्रेशन हो और वह पोर्टल पर जीएसटी बिल और ई वे बिल अपलोड करने

में अनुमोदित हो अन्यथा की स्थिति में आप का सत्यापन के समय कृषि यंत्र पर अनुदान निरस्त किया जा सकता है।

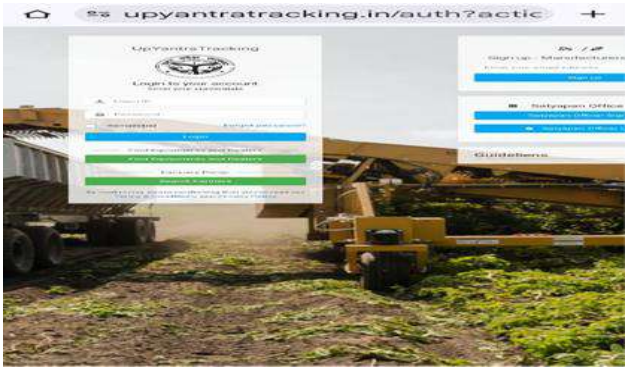

वेबसाइट- https://upyantratracking.in/home

कृषि यंत्रों के अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज

	आवश्यक दस्तावेज	रु दस हजार एक से रु एक लाख तक अनुदान के कृषि यन्त्रों	रु एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों
1	टोकन रसीद	✓	✓
2	जीएसटी बिल ई-वे बिल	जीएसटी बिल	✓
3	खतौनी छायाप्रति	✓	✓
4	आधार कार्ड छायाप्रति	✓	✓
5	बैंक पासबुक की फोटो छायाप्रति	✓	✓
6	डीलरशिप सर्टिफिकेट	-	✓
7	यंत्र की टेस्टिंग रिपोर्ट	-	✓
8	उपकरण ट्रैकिंग पर सत्यापित रिपोर्ट	-	✓
9	कृषक द्वारा फर्म के खाते में ट्रांसफर 50 प्रतिशत मूल्य की धनराशि का प्रूफ छायाप्रति	-	✓
10	यदि कृषक शिक्षित नहीं है तो उसके ब्लड रिलेशन से संबंधित परिवार के सदस्य का फर्म के खाते में हस्तांतरित 50 प्रतिशत मूल्य धनराशि का प्रूफ छायाप्रति	-	✓
11	यदि ब्लड रिलेशन में 50 प्रतिशत धनराशि स्थानांतरित की गई है तो राशन कार्ड छायाप्रति		
12	कृषि यंत्र को न बेचने का 5 साल तक का रु 100 के स्टांप पर अनुबंध नोटरी हलपनमा	-	✓
13	लैज़र कटिंग कृषक यंत्र नंबर फोटोग्राफ	यदि उपलब्द हो	✓

निष्कर्ष

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लागू की गई कृषि अनुदान की नवीन प्रक्रिया किसानों को अधिक पारदशाएँ, सरल और डिजिटल सेवा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस आधुनिक प्रणाली के माध्यम से किसान ऑनलाइन पंजीकरण, दस्तावेज़ सत्यापन, उपकरण चयन, अनुदान स्वींति और भुगतान की स्थिति वास्तविक समय में आसानी से देख सकते हैं। इससे अनुदान वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और पात्र किसानों को सीधे लाभ मिलने लगा है।

नई प्रक्रिया से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों को अपनाने में भी सहायता मिलती है। ऑनलाइन पोर्टल, आधार-आधारित सत्यापन, भुगतान और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ राज्य की कृषि प्रणाली को अधिक कुशल और किसान-हितैषी बनाती हैं। अंततः कृषि अनुदान की यह नवीन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाते हुए कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति, उत्पादकता वृद्धि और आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।